(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, 02 जून, 2023

आदेश

का. आ. ----- (अ.).- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यह मत रखते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है और ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-
   (क) इस आदेश को इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।
   (ख) यह आदेश शासकीय राजपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रवृत्त होगा।
   (ग) यह आदेश तालिका-1 के कॉलम में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लागू होगा, लेकिन निर्यात के लिए अभिप्रेत ऐसे उत्पादों पर इसकी कोई भी बात लागू नहीं होगी।

2. मानकों की अनुरूपता-(क) तालिका-1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक उत्पाद तालिका-1 के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट तारीखों से उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होगा।
   (ख) तालिका 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद के प्रत्येक परेषण के साथ मानक चिह्न वाला मिल परीक्षण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

3. मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग - इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की योजना-। के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न होना चाहिए।

4. अवमानक अथवा त्रुटियुक्त इस्पात और इस्पात उत्पाद, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं, उनका भारतीय मानक ब्यूरो की जाँच एवं निरीक्षण योजना के अनुसार स्क्रैप के रूप में निपटान किया जाएगा।

5. प्रमाणन और प्रवर्त्तन प्राधिकारी - भारतीय मानक ब्यूरो इस आदेश में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों, वस्तु एवं सामग्रियों के संबंध में प्रमाणन एवं प्रवर्त्तन प्राधिकरण होगा।

6. उल्लंघन के लिए शास्ति - इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 29 के तहत दंड दिया जाएगा।

7. भारतीय मानकों में संशोधन अथवा सुधार प्रवृत्त होने की तारीख - यदि तालिका 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी भारतीय मानक में ब्यूरो द्वारा कोई संशोधन अथवा सुधार किया जाता है, तो ऐसा संशोधन अथवा सुधार इस आदेश पर इस संबंध में ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगा।

तालिका 1

क्र. सं	**भारतीय मानक**	**इस्पात और इस्पात उत्पाद**	**आईटीसी(एचएस) कोड**	**कार्यान्वयन की तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	आईएस 16732: 2019	गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चरल इस्पात - विनिर्देशन	72082510 72083710 72085110 72082520 72083720 72085120 72082540 72083740 72085140 72082590 72083790 72085190 72082610 72083810 72085210 72082620 72083820 72085220 72082640 72083840 72085240 72082690 72083890 72085290 72082710 72083910 72085310 72082720 72083920 72085320 72082740 72083940 72085340 72082790 72083990 72085390 72083610 72084010 72085410 72083620 72084020 72085420 72083640 72084040 72085440 72083690 72084090 72085490 72169910 72169990 72089000	तय किया जाना है
2.	आईएस 17111: 2010	हीट-ट्रीटेड स्टील अलॉय और फ्री कटिंग स्टील-	72249030 72283029 72249091 72284000 72249099 72285090	तय किया जाना है

	(आईएसओ 683-17: 2014)	बॉल एंड रोलर बियरिंग स्टील	72279030 72286012 72279050 72286091 72279060 72286093 72279090 72286099 72283019 72299059 72283021 72299090 72283023	
3.	आईएस 12594: 1988	कंक्रीट रिइंफोर्समेंट के लिए स्ट्रक्चरल स्टील बार पर हॉट-डिप जिंक कोटिंग	72159010 72159090	तय किया जाना है
4.	आईएस 1170: 1992	फेरोक्रोमियम - विनिर्देशन	72024100 72025000 72024900 72029900	तय किया जाना है
5.	आईएस 1171: 2011	फेरोमैंगनीज - विनिर्देशन	72021100 72029900 72021900	तय किया जाना है
6.	आईएस 1470: 2013	सिलिकोमैंगनीज - विनिर्देशन	72023000 72029900	तय किया जाना है

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "आईटीसी (एचएस) कोड" का अर्थ तालिका 1 और तालिका 2 के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) कोड है। कोड की प्रकृति सामान्य और सांकेतिक है और इस आदेश की प्रयोज्यता भारतीय मानकों में शामिल इस्पात और इस्पात उत्पादों तक सीमित रहेगी।

फा. सं. एस-20011/10/2022-तकनीकी

(रूचिका चौधरी गोविल)

अपर सचिव, भारत सरकार